

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 143/2010 सत्रवाद

संस्थित दिनांक 21-07-2010

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना
गोहद चौराहा जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

1. रणवीर सिंहपुत्र प्रयाग सिंह तोमर उम्र 47 वर्ष।
2. चीपू उर्फ रविन्द्रसिंह पुत्र सरनामसिंह तोमर उम्र 33 वर्ष।
3. देवेन्द्र सिंह पुत्र बदनसिंह तोमर उम्र 34 वर्ष।
4. दिनेश सिंह पुत्र रनसिंह सिकरवार उम्र 32 वर्ष।
5. अतरसिंह पुत्र प्रयागसिंह तोमर उम्र 35 वर्ष
समस्त निवासीगण ग्राम छीमका थाना गोहद
चौराहा, जिला भिण्ड म0प्र0।
6. विक्कर सिंह सिख उर्फ अरजिन्दरसिंह पुत्र
कश्मीरसिंह सिख उम्र 35 वर्ष। निवासी बूटी
कुईया थाना गोहद चौराहा, जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री सुशील कुमार
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0कं0 26/2010 इ0फौ0
से उदभूत यह सत्र प्रकरण कं0 143/2010

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
अभियुक्त द्वारा श्री भगवतीप्रसाद राजौरिया अधिवक्ता।

//नि - र्ण - य//

//आज दिनांक 16-02-2016 को घोषित किया गया//

01. आरोपी देवेन्द्र का विचारण धारा 148, 307/149 भा0दं0वि0 धारा
25(1-बी)ए एवं धारा 27 आयुध अधिनियम के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है।

जबकि अन्य आरोपीगण बिक्कर, अतरसिंह, रणवीर, चीपू, दिनेश का विचारण धारा 148, 307/149 भा0दं0वि0 के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 27.10.2009 को करीब डेढ बजे ग्राम छीमका के बंधारा खेत में विधि विरुद्ध समूह का गठन किया जिसका सामान्य उद्देश्य हत्या के प्रयास का था, उस समूह के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया और इस दौरान घातक आयुध अग्नेयशस्त्र और लाठियों से सुसज्जित थे। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए जिसका कि सामान्य उद्देश्य आहत सुरेन्द्र को प्राणघातक उपहति कारित करने का था इस आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो वह हत्या के दोषी हो जाते, उस समूह के किसी या कुछ या सभी सदस्यों के द्वारा बंदूक से फायर किया जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती तो हत्या के दोषी हो जाते जो कि सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में उक्त कृत्य कारित किया गया। आरोपी देवेन्द्र पर यह भी आरोप है कि अपने आधिपत्य में एक 12बोर का कट्टा बिना वैध लाइसेंस के अवैध रूप से रखा हुआ था और यह भी आरोप है कि उक्त कट्टे का उपयोग आहत पर प्राणघातक उपहति कारित करने के प्रयोजन से किया।

02. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 27.10.09 को दिन के डेढ बजे आहत सुरेन्द्रसिंह और उसका भाई बृजेन्द्र उर्फ छुटकन अपने टैक्टर से अपना खेत जोतकर मसूर बो रहे थे, पास ही उनके गांव के जयपाल एवं अरविन्द अपने खेत में टैक्टर चला रहे थे। उसका भाई बृजेन्द्र उर्फ छुटकन मेड के पास खड़ा था, इसी दौरान आरोपी दिनेश पिस्टल, बिक्कर पिस्टल, देवेन्द्र 12बोर का कट्टा, चीपू कट्टा माउजर और अतरसिंह, रणवीरसिंह लाठी लेकर एकराय होकर आए जिनसे कि उनकी पुरानी रंजिश चली आ रही है। उसने टैक्टर रोका और नीचे उतरा तो आरोपी दिनेश ने कट्टे से फायर किया। वह दौड़कर गांव की तरफ भागा तो आरोपी अतरसिंह, चीपू, देवेन्द्र, बिक्कर उसे जान से मारने की नियत से फायर करने लगे। आरोपी दिनेश ने जान से मारने के गरज से फायर किया जो उसके दाएं हाथ की कोहनी में लगा वह गिर पड़ा। 2-3 और फायर आरोपी देवेन्द्र, अतरसिंह, चीपू के द्वारा किए गए। सभी आरोपीगण उसके पास आकर उसकी लाठी डण्डों से मारपीट की जिससे उसके हाथ पेरों में चोटें आईं। उक्त घटना को जयपाल और अरविन्द ने देखा है। आहत सुरेन्द्रसिंह को उसका भाई बृजेन्द्र उर्फ छुटकन घायल अवस्था में थाना गोहद चौराहा ले आया जहाँ कि बृजेन्द्र के द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 की दर्ज कराई गई। आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। आहत को चोट अधिक होने से उसे जे.ए.एच. हॉस्पिटल ग्वालियर इलाज हेतु रेफर किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई।

विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गए। घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी एवं सादी मिट्टी की जप्ती की गई एवं चार चले हुए खाली खोखे 12बोर के एवं तीन चले हुए खाली खोखे 315 बोर के पीतल के घटनास्थल से जप्त किए गए। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण से पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर उनके बताए अनुसार घटना में प्रयुक्त कट्टा व लाठियों की जप्ती की गई। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत विचारण हेतु अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

03. आरोपी देवेन्द्र के विरुद्ध धारा 148, 307/149 भा0दं0वि0 एवं धारा 25(1-बी)ए एवं धारा 27 आयुध अधिनियम का आरोप एवं अन्य आरोपीगण बिक्कर, अतरसिंह, रनवीर, चीपू, दिनेश के विरुद्ध धारा 148, 307/149 भा0दं0वि0 का आरोप पाये जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है। बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

05. आरोपी के विरुद्ध विचारित किए जा रहे अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या 27.10.2009 को करीब डेढ बजे ग्राम छीमका के बंधारा खेत में विधि विरुद्ध समूह का गठन किया जिसका सामान्य उद्देश्य हत्या के प्रयास का था, उस समूह के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया और इस दौरान घातक आयुध अग्नेयशस्त्र और लाठियों से सुसज्जित थे?
2. क्या आरोपीगण के द्वारा आहत सुरेन्द्र को जान से मारने की नियत से इस आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आरोपीगण हत्या के दोषी हो जाते उस पर बंदूक/कट्टे से गोली चलाई गई?
3. क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आहत सुरेन्द्र को को मारकर से उपहति कारित की?
4. क्या उक्त दिनांक समय स्थान पर विधि विरुद्ध समूह के सदस्य रहते हुए

- आहत सुरेन्द्र को प्राण घातक उपहति कारित की?
5. क्या दिनांक 30.11.2009 ग्राम छीमका आरोपी देवेन्द्र अपने मकान में अवैध रूप से अपने आधिपत्य में 12 बोर का कट्टा तथा दो कारतूस बिना लाइसेंस के रखा हुआ पाया गया?
 6. क्या आरोपी देवेन्द्र के द्वारा उक्त अग्नेयशस्त्र का उपयोग घटना कारित करने में किया गया?

—: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 4 :-

06. डॉक्टर जी.आर.शाक्य अ0सा0 8 के अनुसार दिनांक 27.10.2009 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में चिकित्सक के पद पर पदस्थ दौरान थाना गोहद चौराहा के द्वारा लाए जाने पर आहत सुरेन्द्रसिंह का चिकित्सीय परीक्षण किया था। उसके परीक्षण में निम्न चोटें पाई थी— (i) दाहिने पैर की अग्र भुजा पर बीच में कटा हुआ घाँव जिसका आकार 2.5 X .5 से.मी. X चमड़ी की गहराई तक जिससे खून बह रहा था। (ii) चोट क्रमांक 1 के बगल से एक कटा हुआ घाँव जिसका आकार 2 X .5 से.मी. X चमड़ी की गहराई तक जिससे खून बह रहा था। (iii) दाहिनी कोहनी के बाहरी तरफ फटा हुआ घाँव आकार 2 X .5 से.मी. X चमड़ी की गहराई तक जिससे खून बह रहा था। (iv) दाहिने पैर की अग्र एवं बाहर की ओर एक फटा हुआ घाँव जिसका आकार 2 X 1 से.मी. X चमड़ी की गहराई तक था। (v) बाएं पैर के बीच में अग्र एवं बाहरी तरफ एक फटा हुआ घाँव था जिसका आकार 2 X 1 से.मी. X चमड़ी की गहराई तक था। उक्त साक्षी के द्वारा अभिमत में बताया कि आहत को हड्डी रोग विभाग ग्वालियर रेफर कर दिया गया था। चोट क्रमांक 1 व 2 किसी धारदार हथियार से और चोट क्रमांक 3, 4, 5 किसी सख्त एवं भौतरे हथियार से पहुँचाई गई थी तथा आहत को कोई गनशॉट इन्जुरी नहीं पाई गई थी। उनके द्वारा तैयार मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 13 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

07. डॉ० विवेक कुमार सोनी अ0सा0 14 जो कि वर्ष 2014 में ग्वालियर जे.ए.एच. हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट विभाग में रेसीडेंट मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ थे और उनके वरिष्ठ रहे डॉक्टर संजीव शिल्पकार व डॉक्टर मेघा मित्तल जो वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जे.ए.एच. ग्वालियर में पदस्थ हैं के साथ कार्य किया है इस कारण वह उक्त दोनों डॉक्टरों के हस्ताक्षर पहचानता है। उक्त साक्षी के अनुसार दिनांक 27.10.2009 को

आहत सुरेन्द्र सिंह पुत्र हरीसिंह उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम छीमका परगना गोहद का एकसरे परीक्षण जे.ए.एच.हॉस्पिटल के डॉक्टर संजीव शिल्पकार के द्वारा किया गया था जिनकी रिपोर्ट के अनुसार उक्त आहत को बाएं पैर की फिबुला वोन में फ्रैक्चर तथा बाएं हाथ की अलना वोन में भी फ्रैक्चर होना पाया गया था। उक्त संबंध में एकसरे रिपोर्ट प्र.पी. 20 है जिसके ए से ए भाग पर डॉक्टर संजीव शिल्पकार व बी से बी भाग पर डॉक्टर मेघा मित्तल के हस्ताक्षर हैं। एकसरे प्लेट आर्टिकल ए1 लगायत ए4 है।

08. इस प्रकार डॉक्टर जी.आर.शाक्य अ0सा0 8 एवं डॉक्टर विवेक कुमार सोनी अ0सा0 14 जिनके द्वारा कि प्र.पी. 20 की एकसरे रिपोर्ट प्रमाणित की गई है के कथनों से स्पष्ट है कि घटना के पश्चात् आहत सुरेन्द्रसिंह के शरीर पर उपरोक्त बताई हुई चोटें मौजूद थी। अब विचारणीय यह हो जाता है कि क्या आहत की हत्या करने का प्रयत्न आरोपीगण के द्वारा किया गया और क्या हत्या के प्रयत्न के दौरान आहत को उपरोक्त चोटें पहुँचाई गई?

09. घटना के संबंध में रिपोर्टकर्ता बृजेन्द्रसिंह अ0सा0 1 अपने साक्ष्य कथन में अभियोजन प्रकरण का समर्थन करते हुए बताया है कि दिनांक 27.10.2009 को 01:30 बजे की बात है। उसका भाई सुरेन्द्र टैक्टर चला रहा था और वह खेत की मेड पर ही खड़ा था। इसी दौरान आरोपीगण दिनेश, चीपू उर्फ रविन्द्र, अतरसिंह, रणवीर, विक्कर व देवेन्द्र आए। आरोपी चीपू उर्फ रविन्द्र कट्टा, दिनेश पिस्तौल, विक्कर पिस्तौल लिए एवं रणवीर व अतरसिंह लाठी और देवेन्द्र कट्टा लिए हुए था। उक्त सभी आरोपीगण आए और भाई सुरेन्द्र को सीधी गोली मारी। उसके भाई के दाहिने हाथ की कोहनी पर और पैरों में गोलियाँ लगी थी। आरोपीगण ने उसके भाई की लाठियों और बटों से भी मारपीट की थी जिससे उसके दोनों पैरों में चोटें लगी थी। घटनास्थल पर जयपाल और अरविन्द्र आ गए थे जो कि पास के खेत में टैक्टर चला रहे थे, उन्हें देखकर आरोपीगण भाग गए। घटना के बाद गोहद चौराहा पुलिस मौके पर आई थी और घटना की रिपोर्ट उसने लिखाई थी जो प्र.पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 2 बनाया था जिस पर उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर हैं। उसके भाई को गोहद के सरकारी हॉस्पिटल ले गए थे जहाँ से उसे ग्वालियर रेफर किया गया था। इसके अतिरिक्त पुलिस ने आरोपी देवेन्द्र से पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन प्र.पी. 5 लेखबद्ध किया था जिसमें उसने कट्टा घर में छिपाकर रखा होना और बरामद करा देने की बात बताई थी और उसे बताए अनुसार प्र.पी. 6 के अनुसार कट्टे की जप्ती की थी। उसके भाई आहत सुरेन्द्र के कपड़े पुलिस ने जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 7 बनाया था।

10. घटना के आहत सुरेन्द्रसिंह अ0सा0 2 के कथना का जहाँ तक प्रश्न है। उक्त

आहत के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि घटना दिनांक 27.10.09 को वह डेढ बजे अपने हार में टैक्टर से खेत जोत रहा था। उसी समय आरोपी दिनेश और चीपू आए और उन्होंने गाली गलोज किया था। इसके अतिरिक्त घटना के आहत के द्वारा घटना दिनांक को आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा उसके साथ किसी प्रकार की मारपीट करने के संबंध में कोई बात नहीं बताई है और न ही दिनेश व चीपू के अतिरिक्त अन्य किसी आरोपीगण आरोपीगण की घटनास्थल पर मौजूदगी के संबंध में बताया है। पुलिस ने उसकी पेंट शर्ट जप्त करना उसके द्वारा बताया गया है। साक्षी जो कि घटना का आहत है के द्वारा अभियोजन प्रकरण का समर्थन न करने के कारण अभियोजन के द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान भी उक्त साक्षी के कथनों में अभियोजन प्रकरण को समर्थन या पुष्ट करने वाला कोई भी तथ्य या साक्ष्य नहीं आया है।

11. अन्य अभियोजन साक्षी अरविन्द तोमर अ0सा0 4 जो कि घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना बताया गया है के द्वारा भी घटना के संबंध में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। सुरेन्द्रसिंह के पेंट और शर्ट की अस्पताल में जप्ती के तथ्य को साक्षी बताया है, किन्तु शेष तथ्यों के संबंध में जिसमें कि घटनास्थल पर आरोपीगण की मौजूदगी अथवा उनके द्वारा ही कोई घटना कारित किये जाने के संबंध में उक्त साक्षी के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई भी समर्थन या पुष्टि नहीं की गई है।

12. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी अ0सा0 12 जिन्होंने कि फरियादी बृजेन्द्र उर्फ छुट्टन के द्वारा आहत सुरेन्द्रसिंह को लाए जाने पर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अप0कं0 180/2009 कायम किया था जो कि प्र.पी. 1 है जिसके बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है और आहत को कायमी के उपरांत मेडीकल परीक्षण हेतु सी.एच.सी. गोहद भेजा गया था। फरियादी व साक्षी जयपाल के कथन लेखबद्ध करना बताया है तथा इसके अतिरिक्त घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 2 तैयार करना बताया है। घटनास्थल से साक्षियों के समक्ष खूल आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी व चले हुए खाली खोखे 315 बोर के जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 10 तैयार बताया है और आरोपी अतरसिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 11 बनाना और उससे एक वांस की लाठी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 12 तैयार करना बताया है।

13. प्रकरण के अन्य विवेचक बी.एल.बंसल अ0सा0 9 विवेचना की कार्यवाही के दौरान आहत सुरेन्द्रसिंह, साक्षी अरविंद के कथन लेखबद्ध करना एवं आहत सुरेन्द्रसिंह के पेश करने पर एक शर्ट आसमानी कलर की जिसमें खून लगा हुआ था और एक एक पेंट हल्के काले रंग की जिसमें खून लगा हुआ था जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 7 तैयार करना बताया

है। इसके अतिरिक्त आरोपीगण रणवीर, चीपू, बिक्कर, देवेन्द्र को गिरफ्तार करना बताया है। इस संबंध में गिरफ्तारी एवं जप्ती पत्रक प्र.पी. 14, 15, 16, 17 तैयार करना और उन पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। आरोपी देवेन्द्र के मेमोरेण्डम कथन प्र.पी. 5 के कथन के आधार पर उसके पेश करने पर एक कट्टा और एक राउण्ड जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 6 तैयार करना बताया है।

14. अन्य अभियोजन साक्षी जनरलसिंह अ0सा0 5 अविनाश अ0सा0 6, जनवेदसिंह अ0सा0 7 जो कि जप्ती की कार्यवाही के साक्षी है। उक्त साक्षीगण के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। साक्षी राजेन्द्र पाठक अ0सा0 10 एवं सरजीतसिंह अ0सा0 11 मोहनसिंह अ0सा0 13 जो कि गिरफ्तारी एवं जप्ती से संबंधित साक्षीगण है। उक्त साक्षीगण के द्वारा कथनों में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है।

15. घटना के संबंध में घटना के रिपोर्टकर्ता बृजेन्द्र अ0सा0 1 के कथनों का प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों का जहाँ तक प्रश्न है। साक्षी कंडिका 3 में यह बताया है कि आहत सुरेन्द्र उससे सौ फिट की दूरी पर था और उसने आरोपीगण को दो सौ फिट की दूरी से आते हुए देख लिया था। कंडिका 5 में साक्षी बताया है कि पहली गोली देवेन्द्र ने चलाई थी जो 12बोर के कट्टे से चलाई थी जो कि सुरेन्द्र के दाहिनी कोहनी में लगी थी। कंडिका 6 में साक्षी बताया है कि सुरेन्द्र गोली लगने के बाद बगल से अरविन्द के खेत में होकर छीमका की ओर भागकर कौने में गिर गया। साक्षी इसी कंडिका में बताया है कि सुरेन्द्र टैक्टर से कूदकर भागा था। सुरेन्द्र को टैक्टर पर जहाँ गोली लगी थी वहाँ से दौड़ने के बाद जिस स्थान पर जाकर गिरा था इस दौरान उसके दोनों पैरों में गोली लग चुकी थी। कंडिका 7 में साक्षी यह अभिकथित कर रहा है कि वह यह नहीं बता सकता कि आहत के पैरों में गोलियाँ सामने की ओर से लगी या पीछे की ओर से लगी थी या दाहिने तरफ या बाईं तरफ से लगी थी। सुरेन्द्र घटना के समय पेंट शर्ट व बनियान पहने हुए था। आहत को किस आरोपी के द्वारा किस भाग पर चोट पहुँचाई गई यह भी वह नहीं बता सकता है।

16. साक्षी के कथनों में उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 जिसमें कि दिनेश व बिक्कर के द्वारा गोली मारने और सुरेन्द्र के दोनों पैरों में लगकर गिर पडना सी से सी भाग तथा "मैं डर के मारे भाग रहा था" बी से बी भाग साक्षी के द्वारा लेखबद्ध ना कराना बताया है। इसी प्रकार प्र.डी. 1 में भी इस संबंध में ए से ए भाग भी पुलिस को वह नहीं लिखाना बताया है। इस प्रकार उक्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर साक्षी के कथनों में विरोधाभास है जो कि तात्त्विक प्रकार के हैं।

17. यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं घटना के आहत सुरेन्द्रसिंह अ0सा0 2 के द्वारा कहीं भी आरोपीगण के द्वारा उसे बंदूक कट्टों से मारकर या अन्य किसी प्रकार से उसे चोटें पहुँचाई जाने के संबंध में कोई बात नहीं बताई है। इस संबंध में चिकित्सक डॉक्टर जी. आर.शाक्य अ0सा0 8 के कथन भी उल्लेखनीय है, जिन्होंने अपने कथन के मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से यह बताई है कि चोटों में किसी प्रकार की कोई गनशोट की इंजुरी नहीं पाई गई थी। ऐसी दशा में जबकि स्वयं आहत उसे किसी गनशोट की कोई चोट आना नहीं बता रहा है एवं चिकित्सीय अभिमत में भी आहत को किसी प्रकार की कोई अग्नेयशस्त्र की चोटें आनी नहीं बताई गई है। इस परिप्रेक्ष्य में साक्षी बृजेन्द्र सिंह अ0सा0 1 का कथन विश्वसनीय होना मानते हुए उसके आधार पर अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है।

18. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि घटना के आहत सुरेन्द्रसिंह अ0सा0 2 के द्वारा यह बताया गया है कि आरोपी दिनेश और चीपू आए थे और उन्होंने गाली गलोज किया था, वह टैक्टर से उतरा तो कल्टीबेटर से उलझ कर गिर पड़ा था जिससे उसे चोटें आ गई थी। इस प्रकार आहत के द्वारा आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा उसके साथ किसी प्रकार की मारपीट या घटना करने के संबंध में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया है। फरियादी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान भी उसके कथनों में अभियोजन प्रकरण को समर्थन करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपीगण से उसका राजीनामा हो गया है इस कारण उनसे मिलकर उन्हें बचाने के लिए झूठी गवाही दे रहा है। इस संबंध में जैसा कि पहले भी उल्लेख किया जा चुका है कि आहत सुरेन्द्र के किसी प्रकार की कोई अग्नेयशस्त्र की चोट होनी भी नहीं पाई गई है। यह आहत का स्वयं कह रहा है कि कल्टीबेटर पर गिरने से उसे चोटें आई थी और चिकित्सक के द्वारा भी यह स्वीकार किया है कि आहत के शरीर पर धारदार एवं सख्त चीज से टकराने से आ सकती है। इस प्रकार जब घटना का आहत ही उसके साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा किये जाने से इन्कार किया है तो इस संबंध में उसके कथन से अभियोजन प्रकरण का किसी प्रकार से कोई समर्थन नहीं होता है।

19. घटना के अन्य चक्षुदर्शी साक्षी अरविन्द तोमर अ0सा0 4 के द्वारा भी घटना के संबंध में अभियोजन प्रकरण के बारे में केवल यह बताया है कि आरोपीगण एवं फरियादी पक्ष के मध्य विवाद होने के संबंध में उसे बाद में पता चला था। उसके द्वारा अन्य तथ्य के संबंध में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है, जबकि उक्त साक्षी घटना का

चक्षुदर्शी साक्षी होना और उसके द्वारा बीच बचाव करना बताया जा रहा है। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन से भी अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं होता है। अभियोजन के द्वारा घटना के अन्य चक्षुदर्शी बताए गए साक्षी जयपाल का परीक्षण नहीं कराया गया है तथा वह अदम पता रहा है।

20. जहाँ तक राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्र.सी.1 का प्रश्न है। रिपोर्ट में भी यह तथ्य आया है कि आहत सुरेन्द्रसिंह के जप्तशुदा शर्ट और फुल पेंट में गनशॉट के छिद्र नहीं पाए गए हैं। यद्यपि उन पर मानव रक्त होना पाया गया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि पेंट व शर्ट पर मानव रक्त होना पाया गया है अभियोजन प्रकरण की पुष्टि कारक साक्ष्य नहीं मानी जा सकती है। आहत को किसी प्रकार की कोई गनशॉट इंजुरी आने की पुष्टि भी उक्त रिपोर्ट के आधार पर नहीं होती है।

21. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी नरेन्द्र त्रिपाठी अ0सा0 12 तथा बी.एल.बंसल अ0सा0 9 जो कि घटना की रिपोर्ट दर्ज करना एवं विवेचना की कार्यवाही के साक्षी हैं। उनके कथनों के आधार पर भी इस संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रामाणिकता के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

22. इस प्रकार प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर घटना दिनांक को घटना स्थल पर आरोपीगण के द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया जाने और उसके सदस्य रहकर उसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुए वल व हिंसा प्रयोग किया जाना अथवा आरोपीगण के द्वारा आहत सुरेन्द्रसिंह की हत्या करने के प्रयत्न के संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रामाणिकता सिद्ध होनी नहीं पायी जाती है।

बिन्दु क्रमांक 5 व 6:-

23. अभियोजन के द्वारा यह बताया गया है कि आरोपी देवेन्द्र अवैध रूप से 12बोर का कट्टा लिए हुए था जो कि उक्त कट्टे व दो जिंदा 12बोर के राउण्डों की जप्ती आरोपी देवेन्द्र से की गई है और जिसको रखने हेतु उसके पास किसी प्रकार का कोई वैध लाइसेंस नहीं था और यह भी बताया गया है कि आरोपी देवेन्द्र के द्वारा उक्त कट्टे का उपयोग घटना कारित करने हेतु किया गया है।

24. उपरोक्त संबंध में प्रकरण के विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षण बी.एल.बंसल अ0सा0 9 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि दिनांक 30.11.09 को आरोपी देवेन्द्र से पूछताछ की थी और पूछताछ में उसने एक कट्टा घर पर रखा होना और चलकर बरामद करा देना बताया था। उन्होंने मेमोरेण्डम कथन प्र.पी. 5 लेखबद्ध किया था जिस पर सी से सी

भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं तथा आरोपी देवेन्द्र के पेश करने पर एक कट्टा व राउण्ड जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 6 बनाया था।

25. आरोपी देवेन्द्र से उसके मेमोरेण्डम कथन के आधार पर जप्ती की कार्यवाही का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में घटना के फरियादी बृजेन्द्रसिंह अ0सा0 1 के द्वारा आरोपी देवेन्द्र से उसके समक्ष पूछताछ करना और पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन प्र.पी. 5 लेखबद्ध करना और कट्टा बरामद कराने की सूचना देना और पुलिस के द्वारा कट्टा आरोपी देवेन्द्र से बरामद कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 6 तैयार करना बताया है। इस बिन्दु पर अभियोजन के अन्य साक्षी जसराम अ0सा0 3 के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई भी समर्थन नहीं किया है।

26. साक्षी बृजेन्द्रसिंह के कथन का इस संबंध में जहाँ तक प्रश्न है। सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान साक्षी बृजेन्द्र सिंह स्वयं घटना का रिपोर्टकर्ता/फरियादी है। उक्त साक्षी के द्वारा कंडिका 12 में बताया है कि देवेन्द्र से कट्टा पुलिस ने थाने में जप्त किया था जो कि थाने की वाउण्डरी में जप्त किया गया था। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आरोपी देवेन्द्र के मकान से उक्त कट्टे की जप्ती अभियोजन के द्वारा की जानी बताई जा रही है जबकि जप्ती का साक्षी बृजेन्द्र थाने की वाउण्डरी में उक्त कट्टा आरोपी से जप्त करने के संबंध में बताया है जो कि साक्षी के कथन के आधार पर जप्ती की कार्यवाही प्रतिकूलित होती है। जप्ती की कथित कार्यवाही थाने पर होने का तथ्य इस बात को इंगित करता है कि जप्ती की कोई भी कार्यवाही आरोपी के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर नहीं हुई है।

27. इस बिन्दु पर अन्य स्वतंत्र साक्षी जसराम अ0सा0 3 के द्वारा जप्ती की कार्यवाही का कोई समर्थन नहीं किया गया है। इस प्रकार मेमोरेण्डम एवं जप्ती के साक्षियों के कथन के आधार पर आरोपी देवेन्द्र के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर कट्टे की जप्ती की कार्यवाही का तथ्य किसी प्रकार से सम्पुष्ट नहीं होता है। इस बिन्दु पर विवेचना अधिकारी बी.एल. बंसल के कथन का जहाँ तक प्रश्न है। मात्र उक्त साक्षी के कथन के आधार पर उसके प्रतिपरीक्षण में आए हुए तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में जबकि जप्ती की कथित कार्यवाही जिस रूप में की जानी उनके द्वारा बताई जा रही है उसका कोई भी समर्थन जप्ती के साक्षियों के द्वारा नहीं किया गया है। इस बिन्दु पर साक्षी बी.एल.बंसल अ0सा0 9 के कथन से अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता मानी जानी सुरक्षित नहीं है।

28. यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपी देवेन्द्र से कथित अवैध अग्नेयशस्त्र की जप्ती होने के संबंध में उसके विरुद्ध आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन चलाए जाने हेतु कोई

स्वीकृति का तथ्य भी अभियोजन के द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। जबकि आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन चलाए जाने हेतु अभियोजन स्वीकृति को प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। जहाँ तक अग्नेयशस्त्र के उपयोग का प्रश्न है, प्रकरण में आई हुई साक्ष्य में कहीं भी अग्नेयशस्त्र के उपयोग में लाए जाने का कोई तथ्य नहीं आया है। इस आधार पर उक्त अग्नेयशस्त्र का उपयोग घटना में किया जाना भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

29. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आरोपी देवेन्द्र से 12बोर का कट्टा और दो जिंदा राउण्ड की जप्ती अथवा उसके द्वारा उक्त कट्टा का उपयोग घटना में किये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

30. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के परिप्रेक्ष्य में तथा बिन्दुओं पर निकाले गए निष्कर्ष के आलोक में अभियोजन का वर्तमान प्रकरण आरोपीगण के विरुद्ध युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। अभियोजन प्रकरण को प्रमातिण न होना पाते हुए आरोपी देवेन्द्र को धारा 148, 307/149 भा0दं0वि0 एवं धारा 25(1-बी)ए एवं धारा 27 आयुध अधिनियम के अपराध के आरोप से एवं अन्य आरोपीगण बिककर, अतरसिंह, रनवीर, चीपू, दिनेश को धारा 148, 307/149 भा0दं0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

31. प्रकरण में जप्तशुदा एक 12बोर का कट्टा व दो जिंदा कारतूस एवं चार खाली खोखे 12बोर के एवं तीन खाली खोखा 315 बोर के उचित निराकरण हेतु अपील अवधि पश्चात् डी.एम. कार्यालय भिण्ड को भेजा जावे एवं जप्तशुदा दो बांस की लाठी एवं आहत सुरेन्द्र के पेंट व शर्ट व घटनास्थल से जप्त खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किए जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड